27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.06.2019 को। सहखातेदारो के सहमतीपत्र, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश / परिपत्र क्रमांक BR/CR/NLRMP/F126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के निर्देशानुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़) 27/6/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 66/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.... वादी

बनाम

1. लादूलाल पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. छीतरलाल पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. ओमप्रकाश पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. गीताबाई पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. दाखीबाई पत्नि नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. प्रेमबाई पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. देवीलाल पिता देवा धाकड निवासी जालमपुरा तह0 बेगूँ

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 07

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. **DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को काश्तकार उपस्थित को सुना गया व निर्णय आदेश हेतु पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 864 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में आराजी संख्या 506 रकबा 0.93 हैक्टर भूमि खेमराज पिता उँकार तेली सा. नंदवाई के नाम दर्ज होकर दिनांक 21.04.1989 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान (चेक संख्या 19/89) से केतागण 1. नंदा पिता खेमा तेली निवासी नंदवाई 2. श्रीमति दाखीबाई पत्नि नंदा तेली निवासी नंदवाई 3. देवीलाल पिता देवा धाकड निवासी जालमपुरा को किया गया। उक्त विकय का नामान्तरण संख्या 281 दिनांक 29.5.89 को प्रमाणित हुआ है। नामान्तरण संख्या 544 से नंदा पिता खेमा फौत होकर वारिसान लादूलाल, छीतरलाल, ओमप्रकाश, गीताबाई, प्रेमबाई पिता नंदा दाखीबाई बेवा नंदा का नाम दर्ज हुआ है जो वर्तमान है। रजिस्टर्ड बेचान पत्र एवं ना.सं. 281, 544 में केतागण एवं वारिसान के हिस्से दर्ज नहीं है। वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

........लगातार

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारान के उपस्थित न आने पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखायी गयी, प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो 2,3,7 में से प्रतिवादी संख्या 7 ने बताया कि वाद वर्णित आराजी 506 मौजा आमल्दा व इसी कुए पर अन्य आराजी 507, 509, 508,, 510, 512 किता– 6 रकबा 3.11 हैक्टर श्री खेमराज पिता उँकार तेली निवासी नंदवाई के नाम पर रेकार्ड में दर्ज थी। इनके दो पुत्रो नंदा व मोहनलाल के द्वारा 1/2–1/2 हिस्से का मौके पर बॅटवारा कर रखा था। उक्त आराजी मे मोहनलाल के हिस्से की आराजी संख्या 507, 509, 512 किता– 3 रकबा 1.21 हैक्टर संपूर्ण एवं आराजी नं. 506 रकबा 0.93 में 1/3 हिस्से का बेचान मुझ केता देवीलाल को किया गया जो 1.21 व 0.31 योग 1.52 हैक्टर बनता है तथा आराजी नं. 511 रकबा 0.02 चाह मे 1/2 हिस्से का बेचान किया है तथा मै उसी हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त हूँ। आराजी नं. 506 रकबा 0.93 हैक्टर मे श्री खेमराज द्वारा उसके अन्य पुत्र नंदा व पुत्र वधू दाखीबाई का नाम इसी बेचान पत्र में 1/3–1/3 हिस्से से दर्ज कराया है। अतः आराजी नं. 506 रकबा 0.93 हैक्टर मे मेरा 1/3 हिस्सा बनता है जिसे घोषणा की जाती है तो हम सहमत है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि उनके दादा श्री खेमराज द्वारा संपूर्ण कुँए की छः बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान किया है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अधिक रकबे की रजिस्ट्री करवा ली है उसे खारिज कराया जावें।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, भू–प्रबन्ध जमाबंदी सं. 2028 में खाता संख्या 10 पर आराजी नम्बर 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 किता– 7 रकबा 3.13 हैक्टर श्री खेमराज पिता औकार तेली साकिन नंदवाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। खेमराज द्वारा उक्त खाते मे से आराजी नं. 507 रकबा 0.12, आराजी नं. 509 रकबा 0.49 व आराजी नं. 512 रकबा 0.60 हैक्टर का बेचा श्री देवीलाल पिता देवा धाकड निवासी जालमपुरा को किया है तथा आराजी नं. 511 रकबा 0.02 चाह मे हिस्सा 1/2 का बेचान देवीलाल पिता देवा को किया है जो वर्तमान हैं। दिनांक 21.04.1989 को खेमराज पिता उँकार तेली द्वारा आराजी नं. 506 रकबा 0.93 हैक्टर भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड पत्र केतागण 1. नंदा पिता खेमा तेली निवासी नंदवाई 2. श्रीमति दाखीबाई पत्नि नंदा तेली निवासी नंदवाई 3. देवीलाल पिता देवा धाकड निवासी जालमपुरा को किया गया। उक्त विकय का नामान्तरण संख्या 281 से दर्ज हुआ है तथा नामान्तरण संख्या 544 विरासत से नंदा पिता खेमा फौत से वारिसान लादूलाल, छीतरलाल, ओमप्रकाश, गीताबाई, प्रेमबाई पिता नंदा, दाखीबाई बेवा नंदा का नाम दर्ज हुआ है। दाखीबाई का नाम केता के रूप में विरासत से दो बार था जिसे आगे की जमाबंदी रोटेशन मे एक कर दिया गया। रजिस्टर्ड बेचान पत्र व नामान्तरण संख्या 281 मे हिस्से दर्ज नहीं है।

मजमें आम में जानकारी करने पर भी जाहिर आया कि खेमराज पिता उँकार तेली के एक पुत्र मोहनलाल का हिस्सा को पिता द्वारा बेचान किया है, खेमराज पिता उँकार के नाम 3.11 हैक्टर भूमि दर्ज होकर आधा हिस्सा 1.55 हैक्टर बनता है। देवीलाल पिता देवा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

धाकड को आराजी नं. 507, 509, 512 रकबा 1.21 हैक्टर संपूर्ण बेचा गया, शेष रकबा आराजी नं. 506 रकबा 0.93 का 1/3 हिस्सा 0.31 हैक्टर बनता है जो योग 1.52 है। लगभग आधा हिस्सा है रजिस्टर्ड बेचान पत्र में केतागण भी तीन होने से प्रत्येक का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा प्रत्येक का बनता है। प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचान पत्र व रेकार्ड के अनुसार ग्राम आमल्दा के खाता संख्या 193 सं. 2071 से 74 में दर्ज आराजी संख्या 506 रकबा 0.93 हैक्टर भूमि में दाखीबाई पत्नि नंदा तेली का नाम जोडते हुए खाता लादूलाल छीतरलाल ओमप्रकाश गीताबाई प्रेमबाई पिता नंदा दाखीबाई पत्नि स्व. नंदा हिस्सा बराबर 1/3, दाखीबाई पत्नि नंदा 1/3 तेली साकिन नंदवाई , देवीलाल पिता देवा 1/3 जाति धाकड निवासी जालमपुरा खातेदार रहन बदस्तुर रखा जाकर दर्ज किया जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम आमल्दा के खाता संख्या 193 सं. 2071 से 74 में दर्ज आराजी संख्या 506 रकबा 0.93 हैक्टर भूमि में दाखीबाई पत्नि नंदा तेली का नाम जोडते हुए खाता लादूलाल छीतरलाल ओमप्रकाश गीताबाई प्रेमबाई पिता नंदा दाखीबाई पत्नि स्व. नंदा हिस्सा बराबर 1/3, दाखीबाई पत्नि नंदा 1/3 तेली साकिन नंदवाई , देवीलाल पिता देवा 1/3 जाति धाकड निवासी जालमपुरा खातेदार रहन बदस्तुर रखा जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 64/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
वादी

बनाम

1. लादूलाल पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. छीतरलाल पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. ओमप्रकाश पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. गीताबाई पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. दाखीबाई पत्नी नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. प्रेमबाई पिता नंदा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. देवीलाल पिता देवा धाकड निवासी जलमपुरा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0कां0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम आमल्दा के खाता संख्या 193 सं. 2071 से 74 में दर्ज आराजी संख्या 506 रकबा 0.93 हैक्टर भूमि में दाखीबाई पत्नि नंदा तेली का नाम जोडते हुए खाता लादूलाल छीतरलाल ओमप्रकाश गीताबाई प्रेमबाई पिता नंदा दाखीबाई पत्नि स्व. नंदा हिस्सा बराबर 1/3, दाखीबाई पत्नि नंदा 1/3 तेली साकिन नंदवाई, देवीलाल पिता देवा 1/3 जाति धाकड निवासी जालमपुरा खातेदार रहन बदस्तुर रखा जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहंसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner